From No. III

न्यायालय उप खण्ड अधिकारी, तिजारा

फर्द अहकाम

(नियम 26)

शम्भुनाथ प्रो0प्रा0लि0 बनाम इकबाल वगै0

हुक्म का कार्यवाही मय इनीशियल्य जज प्रर्थाना पत्र –212 संख्या वर्ष 2019	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तारीख में जारी हुए
आज यह पत्रावली मूल दावा के साथ पेश हुई। एकपक्षीय उपस्थित है को सुना गया। प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। प्रार्थी का केस प्रथम दृष्टया बनता है एवं सुविधा का संतुलन भी प्रार्थी के हक में साबित है। अतः अप्रार्थीगण को आगामी दिनांक 25.07.2019 तक अस्थाई निषेधाज्ञा चन्दरोजा से पाबन्द किया जाता है कि आराजी खसरा नम्बर 48 / 0.24हे0 वाके ग्राम मिठियावास तहसील तिजारा जिला अलवर पर आगामी दिनांक 25.07.2019 तक प्रार्थी के हिस्से तक की आराजी में मौके व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखें। क्यो न उक्त आदेश ताफैसला वाद **Absolute** कर दिया जावे? कोई उज्र हो तो आप स्वय अथवा जर्ये अधिवक्ता हाजिर अदालत आकर जबाब पेश करे। वकील प्रार्थी वास्ते तलबी अप्रार्थी के नोटिस तलबाने जारी करा पे0 रसीद आगामी पेशी तक पेश करें अन्यथा उक्त आदेश स्वतः निरस्त है पत्रावली वाद के साथ पेश हो। [signature] उपखण्ड अधिकारी तिजारा(अलवर)	

7/8/19 पत्रावली पेश हुई। बहुलाय फरीकैन उपस्थित पूर्वादेशानुसार वास्ते [illegible] दिनांक 10/10/19 को पेश हो। [signature]

10/10/19 पत्रावली पेश हुई। बहुलाय फरीकैन उपस्थित पूर्वादेशानुसार वास्ते [illegible] दिनांक 6/11/19 को पेश हो। [signature]

...निवासीगण ग्राम मिठियावास

[illegible] पेश हो।

[illegible] .../.../2021 [illegible]
[illegible] पेश हुई। [illegible]
[illegible] रखा।
अतः पत्रावली [illegible]
10/12/21 ...को [illegible]

पदेन सहायक [illegible] (अलवर)

15/02/22 आज पत्रावली पेश हुई पत्रावली दिनांक 04/03/22 को पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी
तिजारा (अलवर) राज०

04/03/22 आज पत्रावली पेश हुई पक्षकार अनुपस्थित उपस्थित। पत्राव० कुल वाद के साथ दिनांक 22/04/22 को पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी
तिजारा (अलवर) राज०

22/04/22 आज पत्रा० पेश हुई पक्षकार अनुपस्थित उपस्थित। पत्रा० कुल वाद के साथ दिनांक 25/04/22 को पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी
तिजारा (अलवर) राज०

25/04/22 आज पत्रा० पेश हुई पक्षकार अनुपस्थित उप०। पत्रा० कुल वाद के साथ दिनांक 02/05/22 को पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी
तिजारा (अलवर) राज०

02/05/22 आज पत्रा० पेश हुई पक्षकार अनु० उप०। पत्रा० कुल वाद के साथ दि० 06/05/22

उपखण्ड अधिकारी
तिजारा (अलवर) राज०

06/05/22 आज पत्रा० पेश हुई पक्षकार अनुपस्थित उपस्थित। प्राथमिक [illegible] कुल वाद निर्णित हो गया है अतः प्राथमिक निर्णय कुल वाद हो।

उपखण्ड अधिकारी
तिजारा (अलवर)